IRRIGATION AND POWER DEPARTMENT

The 16th January, 1986

No. 692.—Whereas it appears to the Governor of Haryana that Land specified below is needed by the Government, at the public expense, for a public purpose, namely for constructing Extension of Kutiana Distributory from R.D. 83542 to R.D. 84542 in Village Jamal, Tehsil and District Sirsa, it is hereby notified that the land in the locality described below is required for the above purpose.

This notification is made under the provisions of section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 for information of all to whom it mas be concerned.

In exercise of the powers conferred by the aforsaid section, the Governor of Haryana hereby authorised the officers of the Irrigation Department, Haryana with their servants and workmen for the time being engaged in the undertaking, to enter upon and survey the land in the locality and do all other acts acquired or permitted by that section.

Any person interested who has any objection to the acquisition of any land in the locality may within a period of thirty days of the publication of this notification, file objection in writing before the Land Acquisition Collector, Irrigation Department, Ambala.

Plans of the land may be inspected in the office of the Land Acquisition Collector, Irrigation Department, Ambala and the Executive Engineer, Battu Division, Fatehabad.

SPECIFICATION

Serial No.	District	Tehsil	Village	Area in acres	Hadbast	Boundary	Khasra No	Killa No.
1	Sirsa	Sirsa	Jamal	2.08	36	A Strip of land varying in width lying from East to West as demarcateded at site and shown on Index Plan.	294 295	11, 12, 19, 20, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

By order of Governor of Haryana.

(Sd.) . . .,

Superintending Engineer,

Sirsa, Bhakra Canal Circle, Sirsa.

AGRICULTURE DEPARTMENT

The 14th February, 1986

No. 6225/AS/2992.—In exercise of the powers conferred by rule 10 of the Punjab Market Committee Chairman, Vice Chairman (Election) Rules, 1961. I, I. D. Kaushik, H. C. S., Additional Collector, Karnal Presiding Officer, Market Committee, Assandh, District Karnal hereby notify that Shri Radhey Sham, son of Shri Mool Chand, Village and Post Office Assandh and Shri Charan Dass, son of Shri Churia Ram, Village and Post Office Assandh have been elected as Chairman and Vice Chairman of the said Committee respectively.

The notification has been pasted on the notice Board of the said Committee.

I. D. KAUSHIK,

H. C. S.,

Presiding Officer-cum-Additional Collector,

Karnal.

कृषि विभाग

दिनांक 27 दिसम्बर, 1985

नं० 6225/सी०ई०आर०2992.—पंजाब मण्डी समिति अध्यक्ष, उपाध्यक्ष (चुनाव) नियम, 1961 के नियम 10 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त समर्थ बनाने वाली अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं० आई० डी० कौशिक, एच.सी.एस, अतिरिक्त कलैक्टर, करनाल, प्रधान अधिकारी, मण्डी समिति, असन्ध, जिला करनाल, इस के द्वारा अधिसूचित करता हूं कि श्री राजेराम, पुत्र श्री मूल चन्द, निवासी असन्ध, करनाल तथा श्री चरण दास, पुत्र श्री चूड़िया राम, निवासी असन्ध, क्रमश: उक्त मण्डी समिति के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष चुने गए हैं।

2. इस अधिसूचना को उक्त मण्डी समिति के नोटिस-बोर्ड पर भी लगा दिया गया है।

आई० डी० कौशिक,
एच.सी.एस., प्रधान अधिकारी
एवं अतिरिक्त कलैक्टर,
करनाल।

FISHERIES DEPARTMENT

The 12th February, 1986

No. 722-AH-6-86/2927.—The Governor of Haryana is pleased to declare the result of the officer of the Fisheries Department, Haryana, who appeared in the examination of Departmental Accounts held in November, 1985, as indicated against each :—

Sr. No.	Roll No.	Name and designation	Remarks
1.	1.	Shri Kamrul Hussain, Fisheries Officer F.F. D.A., Sonepat	Fail

M.K. MIGLANI,
Commissioner and Secretary to Government, Haryana,
Fisheries Department.

स्वास्थ्य विभाग

दिनांक 15 जनवरी, 1986

संख्या 46/14/80-5 एच.बी.-11.—चूंकि सरकार इस बात से सन्तुष्ट है कि हरियाणा राज्य में भयानक महामारी अर्थात् संक्रामक यकृत विकार (पीलिया) फैलने का खतरा है और इस प्रयोजन के लिये इस समय लागू विधि के साधारण उपाय अपर्याप्त हैं।

इसलिये, अब, महामारी अधिनियम, 1897, की धारा 2 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा,—

(I) उपायुक्तों को उनके अपने-अपने जिलों के क्षेत्रों में निम्नलिखित शक्तियां प्रदान करते हैं,—

(क) किन्हीं विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों या पेयों अथवा ऐसे पदार्थों के अन्य वर्गों के जिले के किसी स्थानीय क्षेत्र में विक्रय या विक्रय के लिये प्रदर्शन या उसमें आयात अथवा निर्यात को रोकना ;

(ख) किन्हीं अस्वास्थ्यकर खाद्य अथवा पेय पदार्थों को नष्ट करने के आदेश देना ;

(ग) किसी भी व्यक्ति को किसी भी बाजार, भवन, दुकान, स्टाल या ऐसे स्थान में जो, किन्हीं खाद्य अथवा पेय पदार्थ विक्रय, भण्डारकरण अथवा मुफ्त वितरण के लिये उपयोग में लाया जाता है प्रवेश करने बारे ऐसे पदार्थों की जांच करने और यदि वह अस्वास्थ्यकर पाये जायें तो जब्त करने, हटाने, नष्ट करने या उसे किसी भी ऐसे तरीके से जैसा वह उचित समझे समाप्त कराने के लिये प्राधिकृत करना ताकि उसे मानवों के उपयोग आने से रोका जा सके ;

(घ) सभी प्रयोजनों के लिये जल की सप्लाई हेतु उपयुक्त स्थान पृथक करना और किसी अन्य स्रोत से जल के उपयोग का निषेध करना और उस स्रोत का जिससे ऐसी जल सप्लाई प्राप्त की जा सकती है, समय, रीति तथा शर्तें नियमित करना ;

(ङ) किसी बर्फ के कारखाने या बोतल जल या खनिज जल कारखाने को बन्द करने के आदेश देना ;

(च) स्नान के लिये उपयुक्त स्थान पृथक करना और महिलाओं तथा पुरुषों के लिये, जिनके द्वारा ऐसे स्थानों को उपयोग में लाया जा सकता है, अलग-अलग समय निर्दिष्ट करना ;

(छ) पशुओं को नहलाने और कपड़े धोने के लिये या जनता के स्वास्थ्य, सफाई अथवा सुविधा से सम्बन्धित किसी अन्य प्रयोजनों के लिये स्थान पृथक करना ;

(ज) खण्ड (च) के अधीन विनिर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा सामान्यतः भिन्न स्नान करने की अथवा ऐसे प्रयोजन के लिये नियत किये गये स्थानों से भिन्न स्थान पर पशुओं के नहलाने या कपड़े धोने को रोकना ;

(झ) अलगाव शिविरों, अस्पतालों और चिकित्सा निरीक्षण चौकियों की स्थापना करना ;

(ञ) किसी संक्रामक यकृत विकार (पीलिया) से पीड़ित व्यक्ति को अलगाव शिविर या अस्पताल में भेजने तथा रोके रखने के आदेश देना ;

(ट) जिले में किसी मेले के आयोजन को रोकना ;

(ठ) यह आदेश देना कि कोई विनिर्दिष्ट व्यक्ति या किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर सभी व्यक्ति, टीका लगवायेंगे, अवयस्कों के मामले में आदेश उनके माता-पिता या अभिभावकों को सम्बोधित होंगे और तब ऐसे सभी व्यक्तियों को टीका लगवाने अपेक्षित होंगे ।

(II) निदेशक, अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप-निदेशक और सहायक निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, हरियाणा, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों, उप-मुख्य चिकित्सा अधिकारियों, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों, सभी नगरपालिका चिकित्सा अधिकारियों, सरकारी या स्थानीय निकाय अस्पतालों और औषधालियों (डिस्पैंसरियों) के कार्यभारी चिकित्सा अधिकारियों; सरकारी खाद्य निरीक्षकों, वरिष्ठ सफाई निरीक्षकों, सफाई निरीक्षकों, स्वास्थ्य निरीक्षकों, सहायक यूनिट अधिकारियों, सहायक मलेरिया अधिकारियों और सभी मैजिस्ट्रेटों को उनके अपने-अपने अधिकार क्षेत्रों में निम्नलिखित शक्तियां प्रदान करते हैं :—

(क) किन्हीं अस्वास्थ्यकर खाद्य या पेय पदार्थों को नष्ट करने के आदेश करना ;

(ख) किसी संक्रामक यकृत विकार (पीलिया) से पीड़ित अथवा पीड़ित होने की संभावना वाले व्यक्ति को हटाने और अलगाव शिविर या अस्पताल में भेजने तथा रोके रखने के आदेश देना ;

(ग) ऐसे किसी व्यक्ति को टीका लगवाने के आदेश देना, जिसे उनकी राय में छूत होने का डर हो (अवयस्कों के मामले में ये आदेश उनके माता-पिता या अभिभावकों को सम्बोधित होंगे) ;

(घ) संक्रामक यकृत विकार के रोगियों का पता लगाने अथवा उस बीमारी का टीका लगवाने या रोगाणुनाशन के प्रयोजनार्थ किसी भी परिसर में प्रवेश करना ;

(ङ) किन्हीं नालियों, परिसरों, शौचालयों, वस्त्रों, बिस्तरों या किसी अन्य वस्तु को जो उनकी राय में रोगाणुग्रस्त हैं या जिससे रोगाणुओं के फैलने की संभावना है सफाई या उसके रोगाणुनाशन के और किसी भी वस्तु घणोत्पादक सामग्री, कूड़ाकर्कट, विष्ठा, गोबर या किसी प्रकार की गन्दगी को हटाने और उसे समाप्त करने अथवा उपयुक्त रोगाणुनाशकों (Disinfectants) को प्रयोग में लाने के आदेश देना ;

(च) पीने के पानी को सार्वजनिक और निजी दोनों प्रकार की सप्लाई के क्लोरीकरण का आदेश देना ।

(III) निदेशक, अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप-निदेशक और सहायक निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, हरियाणा और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को उनके अपने-अपने अधिकार क्षेत्रों में निम्नलिखित शक्तियां प्रदान करते हैं,—

(क) जब भी जिला संक्रामक यकृत विकार फैलने का डर हो तो नगरपालिका क्षेत्रों एवं पंचायत समितियों के अधीन क्षेत्रों के लिये, विद्यमान पद संख्या से दुगने पदों तक महतरों या सफाई मजदूरों, सफाई निरीक्षकों या वरिष्ठ सफाई निरीक्षकों के पद बनाना और उक्त पदों को जिले के संक्रामक यकृत विकार (पीलिया) से मुक्त होने की घोषणा की तिथि से एक मास तक अस्थाई रूप में भरना और यह आदेश देते हैं कि घर का मुखिया या घर का कोई वयस्क सदस्य ;

(ख) प्रत्येक पंजीकृत प्राईवेट चिकित्सा व्यवसायी जिसे किसी घर में संक्रामक यकृत विकार (पीलिया) होने का ज्ञान हो, इसकी सूचना इसके पता लगने से चौबीस घण्टे के भीतर ग्राम पंचायत के सरपंच को या उसके न होने पर गांव के नम्बरदार को या किसी स्थानीय अस्पताल/औषधालय के कार्यभारी चिकित्सा अधिकारी को या नगरपालिका के सचिव को देगा जिनके अधिकार क्षेत्र में वह रहता है या व्यवसाय करता है जो बाद में मामले की रिपोर्ट संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी को देने का जिम्मेदार होगा ;

(ग) यह निर्देश देते हैं कि खण्ड (1) के अधीन सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा जारी किया गया कोई आदेश उस स्थानीय क्षेत्र में तब तक लागू रहेगा जब तक ऐसा स्थानीय क्षेत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा सरकारी तौर पर संक्रामक यकृत विकार से मुक्त घोषित नहीं कर दिया जाता। यह निर्देश देते हैं कि इस आदेश के अधीन सशक्त किसी व्यक्ति द्वारा इसके द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये किये गये किसी उपाय की लागत उस पंचायत समिति या नगरपालिका द्वारा जुटाई जायेगी जिसे अधिकारीक्षेत्र में ऐसा उपाय किया जाये और इसकी वसूली करने के लिये हरियाणा द्वारा खज़ाने में संबंधित स्थानीय प्राधिकरण की निधियों के बकायों में से कटौती द्वारा की जा सकती है।

यह आदेश इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से 31 दिसम्बर, 1986 तक लागू रहेगा।

तरसेम लाल,

आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
स्वास्थ्य विभाग।

श्रम विभाग

दिनांक 12 फरवरी, 1986

सं० ओ०वि०/जी०जी०एन०/76-85/5928.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० (1) परिवहन आयुक्त, हरियाणा, चण्डीगढ़ ; (2) हरियाणा रोडवेज, सैण्ट्रल बाडी बिलडिंग वर्कशाप, हरियाणा रोडवेज, गुडगांव, के श्रमिक श्री बिक्रम सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 5415-3-श्रम-68/15254, दिनांक 20 जून, 1978, के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं० 11495-जी-श्रम-57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद के सुसंगत अथवा संबंधित मामला है :—

क्या श्री बिक्रम सिंह, पुत्र श्री कन्हा राम, की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?